उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

दाण्डिक अपील संख्या 336 वर्ष 2013

हेमू पंत @ हेमू कालू और एक अन्य। ...अपीलकर्ता।

बनाम

उत्तराखंड राज्य। ....प्रतिवादी।

उपस्थित:

अपीलार्थियों की ओर से सुश्री पुष्पा जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता सहायक श्री अमित कापड़ी, अधिवक्ता।

श्री डी.के. शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ श्री वी. एस. राठौर, ए.जी.ए., उत्तराखंड राज्य के लिए।

श्री एस.पी.एस. पंवार वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री अरविंद वशिष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता साथ श्री रामजी श्रीवास्तव और श्री एच. एम. भाटिया, हस्तक्षेप करने वालों (इंटरवेनर्स) के अधिवक्तागण।

कोरमः

माननीय आलोक सिंह, जे.

माननीय सर्वेश कुमार गुप्ता, जे.

माननीय यू. सी. ध्यानी, जे.

प्रतिः माननीय आलोक सिंह, जे (मौखिक)

इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने दाण्डिक अपील संख्या 336 वर्ष 2013, हेमू पंत @ हेमू कालू और एक अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य में पारित आदेश दिनांकित 12.01.2015 के तहत कानून के प्रश्न को तैयार करने और पूर्ण पीठ को संदर्भित करने में प्रसन्नता व्यक्त की। जो निम्नानुसार हैः-

"क्या, दूसरी/बाद की जमानत अर्जी, जो बाद में लंबित आपराधिक अपील में दायर की गई है, पर उसी बेंच द्वारा विचार किया जाना चाहिए, जिसने पहले जमानत अर्जी खारिज कर दी है या नियमित बेंच द्वारा?"

इस तरह इस मामले को विचार के लिए हमारे सामने रखा गया है। विवाद में प्रवेश करने से पहले, हम विवाद को समझने के लिए कुछ तथ्यों का वर्णन करना चाहेंगे। एस.टी. संख्या 30/2007, 31/2007 और 32/2007 में नैनीताल के विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.08.2013 के फैसले के माध्यम से, दोनों अभियुक्तों हेमू पंत @ हेमू कालू और मनीष @ कांचू मटियानी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई गई। भा.दं.सं. की धारा 302, 364 और 201 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों और 4/25 शस्त्र अधिनियम की धारा 1 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध के लिए। व्यथित महसूस करते हुए, दोनों अभियुक्तों ने इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 336 वर्ष 2013 प्रस्तुत की।

अपील विचाराधीन रहने के दौरान नियमित जमानत की मांग करने वाला जमानत आवेदन संख्या 1364 वर्ष 2013 दोनों अपीलार्थियों द्वारा दायर किया गया था, यद्यपि, खण्ड पीठ (जिसमें बारीन घोष, सी. जे. और सर्वेश कुमार गुप्ता, जे. शामिल थे) द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2013 के अनुसार इसे वापस लेने की अनुमति दी गई थी, नई दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ।

इसके बाद, दूसरी जमानत याचिका दोनों अपीलार्थियों द्वारा दायर की गई थी जो सी.आर.एम.ए. संख्या 1658/2013 थी, हालाँकि, इसे पीठ (बारिन घोष, सी.जे. और सर्वेश कुमार गुप्ता, जे. से मिलकर) द्वारा 26.11.2013 को योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

इसके बाद, अपीलार्थियों में से एक अर्थात मनीष @ कांचू मटियानी ने तीसरी जमानत याचिका सी.आर.एम.ए. 1009 वर्ष 2014 दायर की, जिसे एक अन्य पीठ द्वारा सुनवाई के लिए लिया गया था, रोस्टर के अनुसार (जिसमें वी.के. बिस्ट,

ए.सी.जे. और यू.सी. ध्यानी, जे. शामिल थे)। दिनांक 17.07.2014 के आदेश के माध्यम से, उक्त पीठ ने अपीलकर्ता मनीष उर्फ कांचू मटियानी को अपील विचाराधीनता रहने के दौरान, उसके व्यक्तिगत मुचलके को निष्पादित करने और संबंधित सी.जे.एम. की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो प्रतिभूतियों को प्रस्तुत करने पर, जमानत दे दी।

इसके बाद, अपीलकर्ता हेमू पंत उर्फ हेमू कालू ने तीसरी जमानत याचिका सीआरएमए 1089 वर्ष 2014 दायर की, जिसमें एक अन्य सह-आरोपी मनीष उर्फ कांचू मटियानी ने समानता का दावा करते हुए नियमित जमानत की मांग की थी। हेमू पंत उर्फ हेमू कालू द्वारा दायर तीसरी जमानत याचिका को तीसरी पीठ (आलोक सिंह, जे. और सर्वेश कुमार गुप्ता, जे.) के समक्ष सूची के अनुसार सूचीबद्ध किया गया था। तीसरी जमानत याचिका पर दिनांक 27.08.2014 को सुनवाई हुई और हममें से एक (आलोक सिंह, जे) ने कहा कि हेमू पंत उर्फ हेमू कालू भी, समानता का सिद्धान्त पर, जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यद्यपि, हममें से एक (सर्वेश कुमार गुप्ता, जे.) का विचार था कि चूंकि पहली और दूसरी जमानत याचिकाओं को पहली पीठ (जिसमें तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश बारीन घोष, सी.जे. और सर्वेश कुमार गुप्ता, जे. शामिल थे) द्वारा खारिज कर दिया गया था, इसलिए सह-आरोपी मनीष उर्फ कांचू मटियानी द्वारा दायर तीसरी जमानत याचिका पर किसी अन्य पीठ (जिसमें वी.के. बिस्ट, जे. और यू.सी. ध्यानी, जे. शामिल थे) द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए था, और इस प्रकार, आरोपी हेमू पंत @ हेमू कालू को समानता के सिद्धान्त पर जमानत पर रखने से इन्कार कर दिया।

चूंकि, हमारे बीच परस्पर विरोधी विचार थे अर्थात। (आलोक सिंह और सर्वेश कुमार गुप्ता, जे. जे.), इसलिए, मामले को तीसरे विद्वान न्यायाधीश यानी सुधांशु धूलिया, जे. के समक्ष रखा गया था। तीसरे विद्वान न्यायाधीश (सुधांशु धूलिया, जे.) के आदेश दिनांक 25.09.2014 के अनुसार हेमू पंत @ हेमू कालू द्वारा दायर

तीसरी जमानत याचिका को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि वह एक अन्य सह-आरोपी मनीष @ कांचू मटियानी के साथ समानता का हकदार नहीं है।

इसके बाद, अपीलकर्ता हेमू पंत उर्फ हेमू कालू ने चौथी जमानत याचिका दायर की, जो सी.आर.एम.ए. संख्या 1663/2014 थी, जिसे रोस्टर के अनुसार खण्ड पीठ (वी.के. बिस्ट और यू.सी. ध्यानी, जे.जे.) के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया था। दिनांक 12.01.2015 के आदेश के माध्यम से, कानून का प्रश्न, जैसा कि पहले यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया था, तैयार किया गया था और इसे बड़ी पीठ को भेजा गया था।

संतोष बनाम राज्य एम. पी. के मामले में समान मुद्दे को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ को भेजा गया था। **2000 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1834 में रिपोर्ट किया गया।** मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कई फैसलों का उल्लेख करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि सजा के निलंबन के लिए बाद की जमानत याचिका या आवेदन की सुनवाई और निर्णय पीठ द्वारा किया जाना चाहिए, जिसने पहले अभियुक्त अपीलकर्ता द्वारा दायर पिछले आवेदन को खारिज कर दिया है।

गोपाल बनाम एम. पी. राज्य के मामले में फिर से इसी तरह का मुद्दा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक अन्य पूर्ण पीठ को भेजा गया था जो **2005 (1) आर.सी.आर. (आपराधिक) 126** में रिपोर्ट किया गया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की दूसरी पूर्ण पीठ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर अवलम्ब करते हुए **शहजाद हसन खान बनाम इश्तियाक हसन खान** का मामला **ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 1613** में रिपोर्ट किया गया; **महाराष्ट्र राज्य बनाम बुद्धिकोटा सुभा राव ने ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 2292** में रिपोर्ट किया; **हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य ने ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 281** में रिपोर्ट किया; **कल्याण चंद्र**

सरकार बनाम राजेश रंजन ने 2004 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 1581 में रिपोर्ट किया है, जो निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

हाल ही में कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन एआईआर 2004 एससीडब्ल्यू 1581 में, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हालांकि एक आरोपी को जमानत देने के लिए लगातार आवेदन करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे बाद के जमानत आवेदनों पर विचार करने वाले न्यायालय का कर्तव्य है कि वह कारणों और आधारों पर विचार करे। जिस पर पहले की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। ऐसे मामलों में, न्यायालय का यह भी कर्तव्य है कि वह रिकॉर्ड करे कि ऐसे कौन से नए आधार हैं जो उसे पहले के आवेदनों में लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के मद्देनजर यह और भी आवश्यक है कि बाद की जमानत अर्जी को उस न्यायाधीश या उन न्यायाधीशों के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए जिन्होंने पहले आवेदन को खारिज कर दिया था। यदि कोई न्यायाधीश जो पिछली जमानत अर्जी खारिज करने वाली डिवीजन बेंच का सदस्य रहा है, वह बाद की डिवीजन बेंच का भी सदस्य है, तो बाद वाली बेंच उन कारणों और आधारों पर विचार करने के लिए बेहतर स्थिति में होगी, जिन पर पिछली जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं और उन नए आधारों को भी दर्ज किया गया जो उसे पहले के आवेदनों में लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। हम तदनुसार हमसे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार देते हैं:-

(क) जब संहिता की धारा 389(1) के तहत लंबित अपील में जमानत के लिए दिए गए पहले आवेदन पर एक डिवीजन बेंच द्वारा विचार किया गया हो और अस्वीकृति का सामना करना पड़ा हो और उसके बाद दूसरा जमानत आवेदन दायर किया गया हो और पहले डिवीजन बेंच की अनुपलब्धता के कारण, दूसरी डिवीजन बेंच मामले को देखती है और आवेदन को खारिज कर

देती है, अन्य क्रमिक और बाद की जमानत याचिकाएं उक्त बेंच के समक्ष जानी चाहिए, न कि उस बेंच के समक्ष जिसे ऐसे मामले से निपटने के लिए रोस्टर दिया गया है।

(ख) यदि जमानत के लिए पहला आवेदन संहिता की धारा 389 के तहत दायर किया गया है और एक बेंच द्वारा खारिज कर दिया गया है और यदि बेंच के सदस्यों में से एक उपलब्ध है, तो बाद के जमानत आवेदनों को उस बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, जिसका वह सदस्य है। और इसे रोस्टर के अनुसार नियमित बेंच के सामने नहीं जाना चाहिए।"

हाल ही में, **लुरधु मरांडी बनाम झारखंड राज्य** के मामले में इसी तरह का प्रश्न उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ को भेजा गया था, **2015 सीआरएलजे 1541** में रिपोर्ट किया गया । झारखंड उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने शहजाद हसन (सुप्रा), कैप्टन बुद्धिकोटा सुभा राव (सुप्रा), हरजीत सिंह (सुप्रा), एम. जगन मोहन राव बनाम पी.वी. मोहन राव ने 2010 (15) एससीसी 491, चेतक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम ओम प्रकाश 1998 (4) एससीसी 577 में रिपोर्ट किया गया और जगमोहन बहल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) 2015 (1) आरसीआर (आपराधिक) 291 में रिपोर्ट किया गया, को निम्नानुसार रखा गया है:

"हमारे विचार में, संहिता की धारा 439 के से बाद के या लगातार आवेदन खंड संबंधित मामलों में लागू सिद्धान्त बाद के 6 पर लागू होगा या संहिता की खंड 389 के से क्रमिक जमानत आवेदन भी, जैसा कि दोनों मामलों में परिणाम यह है कि एक व्यक्ति, एक विचारण कैदी या दोषी हो सकता है, जमानत पर बढ़ाया जाता है। यदि दोषी को संहिता की धारा 389 (1) के से उसकी सजा को निलंबित करके जमानत पर रिहा किया जाता है, तो यह उसके लिए एक अस्थायी राहत है और उसकी अपील खारिज होने की स्थिति में उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। इसी तरह, विचाराधीन कैदी के विचारण में, संहिता की धारा 439 के अंतर्गत उसे दी गई

जमानत भी अस्थायी प्रकृति की है और उसे दोषी ठहराए जाने पर उक्त जमानत रद्द कर दी जाएगी। इसलिए, दोनों ही स्थितियों में, यह विचाराधीन आरोपी या दोषी के लिए कुछ समय के लिए राहत है। इसलिए, मूल रूप से संहिता की धारा 439 के तहत या संहिता की धारा 389 के तहत दायर एक आवेदन में स्थिति भौतिक रूप से नहीं बदलती है जहां तक इसके प्रभाव का सवाल है, लेकिन इस तथ्य के लिए कि एक स्थिति मुकदमे के दौरान जमानत देने से संबंधित है और दूसरी स्थिति अपील के लंबित रहने के दौरान सजा के निलंबन और फिर जमानत से संबंधित है।

21. हम एक अन्य दृष्टिकोण से भी इस पहलू की सराहना करते हैं। संहिता की धारा 439 के से दूसरी जमानत याचिका या क्रमिक जमानत याचिकाओं को आगे बढ़ाते समय, परिवर्तित परिस्थिति की याचिका विभिन्न चरणों में प्रस्तुत अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की गुणवत्ता के पीठ पर मुकदमे की प्रगति के साथ विचाराधीन व्यक्ति पर लागू नहीं हो सकती है, फिर भी दूसरी जमानत याचिका या उसी उद्देश्य के लिए क्रमिक जमानत याचिकाओं की सुनवाई, यदि उपलब्ध हो, तो माननीय सर्वोच्च विचारण के निर्णयों की श्रृंखला के अनुसार, उसी पीठ द्वारा की जानी चाहिए, जबकि संहिता की धारा 389 (1) के से एक आवेदन पर विचार करते समय, अभियोजन पक्ष के मामले के तथ्य जिसमें एक बार दोषसिद्धि साबित हो जाती है, कभी नहीं बदलेंगे और वह कम खंड कम अपील और उक्त अनुरोध के गुण-दोष के पीठ पर सजा के निलंबन के उद्देश्यों के लिए मात्र एक बार अपना मामला विकसित कर सकता है। इसलिए, दूसरा जमानत आवेदन या क्रमिक जमानत आवेदनों की सुनवाई उसी पीठ द्वारा की जानी चाहिए, जिसने पहले दोषी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

22. फिर भी दूसरे दृष्टिकोण से, हम इस स्थिति की सराहना करते हैं। यदि दूसरी या लगातार जमानत याचिका की सुनवाई एक समन्वय पीठ द्वारा की जाती है, किसी अन्य पीठ द्वारा गुण-दोष पर खारिज किए जाने के पश्चात और संयोग से

उसी पीठ के विवेक से, दूसरी जमानत याचिका की अनुमति दी जाती है, तो यह समन्वय पीठ द्वारा पारित पहले के आदेश को बाधित करने के बराबर होगा और यह अभ्यास मात्र अपील न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यह, बदले में, न्यायिक प्रणाली और न्यायालय की विश्वसनीयता को बाधित करेगा और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

23. उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, दो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं; एक "न्यायिक आवश्यकता" और दूसरी "न्यायिक मजबूरी"। न्यायिक आवश्यकता के लिए आवश्यक है कि एक बार जब किसी विशेष पीठ द्वारा पहले की जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है, तो उसी राहत के लिए दूसरी जमानत याचिका या क्रमिक जमानत याचिकाओं को उसी पीठ के समक्ष या उस पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए, जिसमें से एक सदस्य, जो दूसरे सदस्य के स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति के कारण उपलब्ध है। यह न्यायालय के न्यायिक अनुशासन और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए है, यह पीठ/न्यायाधीश की सुविधा की कीमत पर हो सकता है और यह किसी तरह से बोर्ड के अन्य मामलों पर विचार आदेश में विलम्ब का कारण भी बन सकता है, लेकिन, हमारे विचार में, ये कारक पीछे हट जाते हैं क्योंकि न्यायिक अनुशासन या न्यायालय की विश्वसनीयता सर्वोपरि विचार है। दूसरी स्थिति यह है कि जब कोई विशेष पीठ या उसका कोई भी सदस्य न्यायिक मजबूरी के रूप में उपलब्ध नहीं होता है, तो दूसरी जमानत याचिका या उस मामले के लिए क्रमिक जमानत याचिका को नियमित रोस्टर के अनुसार पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह बिना ध्यान दिए नहीं जा सकता है। ये असाधारण परिस्थितियाँ हैं।

26. तदनुसार, हम पैराग्राफ 3 में हमारे द्वारा तैयार किए गए उपरोक्त दो प्रश्नों का उत्तर देते हैं:-

(क) जब अभियुक्त/दोषी द्वारा मूल सजा के निलंबन के लिए संहिता की धारा 389 (1) के अंतर्गत पहला आवेदन किया जाता है और एक खण्ड पीठ

द्वारा विचार किया जाता है और अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है, तो उसी राहत के लिए दूसरे आवेदन या उस मामले के लिए क्रमिक आवेदनों की सुनवाई उसी खण्ड पीठ द्वारा की जाएगी, जिसने पहले की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, न कि उस पीठ के समक्ष जिसे ऐसे मामलों से निपटने के लिए रोस्टर दिया गया है।

(ख) संहिता की धारा 389 (1) के से दी गई सजा के निलंबन के लिए पहले आवेदन को पीठ द्वारा खारिज कर दिए जाने के पश्चात और यदि पीठ के सदस्यों में से कोई एक उपलब्ध है, तो बाद की जमानत याचिका को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसका वह सदस्य है और इसे रोस्टर के अनुसार नियमित पीठ के समक्ष नहीं जाना चाहिए। यह मात्र असाधारण परिस्थितियों में है, इस तरह की जमानत याचिका रोस्टर के अनुसार नियमित पीठ के समक्ष जाएगी।

यद्यपि संहिता की खंड 389 (1) के अंतर्गत आवेदनों के मामलों में स्थिति अलग होगी, जिन्हें एक बार खारिज किए जाने के पश्चात एकल पीठ द्वारा निपटाया जाएगा। यदि वही पीठ उपलब्ध है, तो निस्संदेह, उसी पीठ द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी और स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति आदि या किसी अन्य असाधारण परिस्थिति के कारण पीठ उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, उक्त आवेदन को रोस्टर के अनुसार नियमित एकल पीठ के समक्ष रखा जाएगा।"

इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ **माया दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2010 (4) ई.एस.सी. 2933** में रिपोर्ट किया गया, निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया हैः

"इस प्रकार, पूर्ववर्ती चर्चाओं से निम्नलिखित सिद्धांत उभरते हैं:

(1) उच्च न्यायालय का प्रशासनिक नियंत्रण केवल मुख्य न्यायाधीश में निहित है और उच्च न्यायालय के कार्यों को न्यायिक और प्रशासनिक दोनों तरह से वितरित करना उनका विशेषाधिकार है।

(2) केवल मुख्य न्यायाधीश के पास यह तय करने का अधिकार और शक्ति है कि उच्च न्यायालय की पीठों का गठन कैसे किया जाएः किस न्यायाधीश को अकेले बैठना है और वह किन मामलों को सुन सकता है और उसे सुनना आवश्यक है, साथ ही यह भी कि कौन से न्यायाधीश एक खण्ड पीठ का गठन करेंगे और वे पीठ क्या काम करेंगी।

(3) कनिष्ठ न्यायाधीश मात्र वही कार्य कर सकते हैं जो उन्हें मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उनके निर्देशों के अंतर्गत आवंटित किया जाता है। कोई भी न्यायाधीश या न्यायाधीशों की पीठ उच्च न्यायालय में लंबित मामले में क्षेत्राधिकार ग्रहण नहीं कर सकती है जब तक कि मामला मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन्हें आवंटित नहीं किया जाता है।

(4) कोई भी आदेश जिसे कोई पीठ या एकल न्यायाधीश एक ऐसा मामला बनाने के लिए चुन सकता है जो उनके या उनके समक्ष मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उनके निर्देश के अनुसार नहीं रखा गया है, वह क्षेत्राधिकार के बिना एक आदेश है और शून्य है।

(5) अवमानना क्षेत्राधिकार मूल प्रकृति का एक स्वतंत्र क्षेत्राधिकार है, चाहे वह न्यायालय अवमानना अधिनियम से उत्पन्न हो या भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के अंतर्गत।

(6) भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के से क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए, कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

17. जैसा कि पहले उद्धृत किया गया है, कानून से यह स्पष्ट होगा कि किसी विशेष कार्य के लिए सौंपी गई खण्ड पीठ मात्र सौंपे गए कार्य को ही कर सकती है और किसी अन्य खण्ड पीठ को सौंपे गए कार्य को पहले के मामले के संबंध में भी सुनवाई नहीं कर सकती है। जब मुख्य न्यायाधीश ने मामले को उठाने के लिए उस पीठ को काम सौंपा था। कार्यभार बदलने के पश्चात जब तक कि विशेष रूप से आदेश नहीं दिया जाता, पिछली पीठ मामले की सुनवाई नहीं कर सकती। यहां तक कि बंधे हुए मामलों के संबंध में, ऊपर उद्धृत नियम के संदर्भ में, मामले को आमतौर पर निपटान के लिए उसी पीठ के समक्ष रखा जा सकता है। "सामान्य रूप से" पद का अर्थ यह होगा कि मामले सौंपने के लिए सशक्त प्राधिकारी को उस शक्ति का उपयोग पीठ के समक्ष मामले को रखने के लिए करना चाहिए, जिसने पहले मामले की सुनवाई की थी।यह अलग-अलग मामलों में या एक सामान्य आदेश से किया जा सकता है। यह नियम इस सिद्धान्त पर आधारित है कि एक पीठ को मामले की पर्याप्त सुनवाई करने और मूल्यवान न्यायिक समय बिताने के बाद, मामले को सामान्य रूप से सुनने और निपटाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसलिए, इस शक्ति का प्रयोग मात्र मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है जो पीठों का गठन करता है, न कि न्यायालय की पंजीकरण द्वारा, और न ही कोई पीठ यह अभिनिर्धारित कर सकती है कि वह मामले को आंशिक सुनवाई वाले मामले के रूप में आगे बढ़ा सकती है।"

श्री एस.पी.एस. पंवार और श्री अरविंद वशिष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ताओं साथ श्री रामजी श्रीवास्तव और श्री एच.एम. भाटिया, अधिवक्ताओं और राज्य की ओर से उपस्थित श्री डी.के. शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता सहायक श्री वी.एस. राठौर,

ए.जी.ए. ने जोरदार ढंग से कहा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठों की घोषणाओं और उसमें निर्दिष्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कई घोषणाओं को देखते हुए, विपरीत दृष्टिकोण रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

यहाँ पहले संदर्भित सभी घोषणाओं को देखने के बाद, हम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार से पूरी तरह सहमत हैं।

हालाँकि, अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री पुष्पा जोशी प्रस्तुत करती हैं कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय एक छोटा उच्च न्यायालय है, इसलिए, रोस्टर के अनुसार, आपराधिक अपीलों की सुनवाई करने वाली पीठ द्वारा बाद की जमानत याचिका पर सुनवाई की जानी चाहिए।

हमने अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री पुष्पा जोशी द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण पर अपनी चिंता व्यक्त की है।

हमारे सुविचारित मत में, न्यायाधीशों और पीठों की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां तक कानून के तय किए गए सिद्धान्त का संबंध है, इसलिए हम वास्तव में सुश्री पुष्पा जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता के विचार को प्रतिग्रहण करने में असमर्थ हैं, इसलिए, हमें निर्दिष्ट प्रश्न का हमारा उत्तर निम्नानुसार हैः

> "उस बाद की जमानत याचिका या सजा के निलंबन की मांग करने वाले आवेदन को पीठ द्वारा रखा जाएगा और सुना जाएगा, जिसने पहले जमानत याचिका या सजा के निलंबन की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया है। यद्यपि, यदि सूची में परिवर्तन किया जाता है और पश्चात में जमानत आवेदन दायर किया जाता है, तो पंजीकरण उसी पीठ के समक्ष पश्चात के आवेदन को सूचीबद्ध करेगी जिसने पिछली पीठ का गठन करने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के उचित सामान्य या स्पष्ट आदेश प्राप्त

करने के पश्चात पिछले आवेदन को खारिज कर दिया है। यद्यपि, रोस्टर के अनुसार, यदि बाद में जमानत/सजा के निलंबन के आवेदन को किसी अन्य पीठ के समक्ष रखा जाता है, तो ऐसी पीठ पंजीकरण को उसी पीठ के समक्ष बाद की जमानत याचिका या सजा के निलंबन के लिए आवेदन रखने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश प्राप्त करने का निर्देश देगी, जिसने पहले जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसके बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश, मास्टर ऑफ रोस्टर, आम तौर पर पीठ के समक्ष बाद के आवेदन को रखने का निर्देश जारी करेगा, जिसने पहले पूर्व जमानत/सजा के निलंबन आवेदन को खारिज कर दिया है।यदि पिछली पीठ के सदस्यों में से एक, जिसने पहले जमानत खारिज कर दी है आवेदन/सजा का निलंबन, सेवानिवृत्ति या स्थानांतरण के कारण उपलब्ध नहीं है, फिर बाद में जमानत आवेदन या सजा के निलंबन के लिए आवेदन, पीठ के समक्ष रखा जाएगा, जिसमें से एक सदस्य पिछली पीठ का सदस्य होगा, जिसने पहले की जमानत याचिका या सजा के निलंबन के लिए आवेदन को खारिज कर दिया है। यद्यपि, माननीय मुख्य न्यायाधीश विशिष्ट आदेश द्वारा सजा आवेदन के बाद की जमानत/सजा निलंबन को किसी अन्य पीठ को सौंप सकते हैं, जैसा कि वह उचित समझते हैं। माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसी अन्य पीठ को अग्रिम जमानत/सजा के निलंबन के कारणों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।"

अभिलेख खण्ड पीठ के समक्ष रखा जाए, जिसने इस मामले को इस बड़ी पीठ के समक्ष भेजा है।

(यू. सी. ध्यानी, जे.) **(सर्वेश कुमार गुप्ता, जे.)** **(आलोक सिंह, जे.)**

23.06.2015

एसकेएस